न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00043

सुमित्रा पत्नी भंवर लाल जाति बाबाजी निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

जगन्नाथ आत्मज सेवा जाति कुम्हार निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 19.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 453 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में वादिनी के ससुर मांग्यापुरी के खातेदारी में दर्ज है चली आ रही है । मांग्यापुरी जी का देहान्त हो चुका है उनके पुत्र भंवर लाल का भी देहान्त हो चुका है । उक्त भूमि पारिवारिक बंटवारे में मांग्यापुरी जी द्वारा वादिनी के पति भंवर लाल जी को दे थी । उक्त आराजी में प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार निहित नहीं है इसके उपरान्त भी वह उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । पूर्व में वादिनी के ससुर ने प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बून्दी में प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 22.05.2000 को उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा वाद वादिनी के ससुर के पक्ष में डिक्री किया गया था । प्रतिवादी उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो बेदखल किये जाने योग्य है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा अनुचित रूप से उक्त भूमि पर काबिज होने की एवज में 30000/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से कब्जा प्राप्त होने तक क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कोई कानूनी हक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने के आधार पर वाद खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादिनी के द्वारा एक दावा बेदखली का परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । पूर्व में जो दावा पेश किया गया था वो स्थायी निषेधाज्ञा का था और वर्तमान दावा बेदखली का है इस कारण रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावे को धारा 11 सीपीसी के तहत रेसजूडीकेटा से बाधित मानते हुए खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है और दावा खारिज करने का आधार पूर्व दावा संख्या 134/दावा/2000 को माना है । पूर्व दावे की जो प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्श–2 के रूप में संलग्न है वो धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय की प्रति है जिसमें प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वो वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे ।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी की ओर से नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक मांग्यापुरी वल्द शंकरपुरी हैं । प्रदर्श–2 उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय दावा संख्या 134/दावा/2000 की प्रमाणित प्रति है । मौखिक

साक्ष्य में वादिनी के बयान कराये गये हैं । इसके अलावा महेन्द्र सिंह और गजराज सिंह का शपथ पत्र भी पेश किया गया है परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है । इसके अलावा पैमाइश रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श–4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 5 पेश की हैं ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार मांग्यापुरी पुत्री शंकरपुरी दर्ज है । वादिनी के द्वारा दावे की मद संख्या 01 में यह अंकित किया गया है कि मांग्यापुरी उनके ससुर थे । भंवर लाल उनके पति थे जिनका देहान्त हो चुका है और पारिवारिक बंटवारे में यह आराजी उनके पति को दी गई थी। बयानात में भी उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि इस आराजी पर वे सहखातेदार हैं परन्तु उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान जमाबन्दी जिसमें वो सहखातेदार दर्ज हैं पेश नहीं की है । साथ ही उनके द्वारा पेश किये गये गवाह खुशपाल सिंह एवं महेन्द्र सिंह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं करवायी है ।

11. हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्व में पारित निर्णय के आधार पर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया वर्तमान दावा रेसजूडीकेटा से बाधित नहीं होगा परन्तु पैरा संख्या 10 में किये गये विवेचन के अनुसार जमाबन्दी की वो प्रति जिसमें अपीलान्ट सहखातेदार दर्ज हों पेश किया जाना आवश्यक है और गवाहों के द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद किया जाना आवश्यक है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 10 में किये गये विवेचन के अनुसार वादिनी से जमाबन्दी की वांछित प्रति प्राप्त कर गवाहों के बयानों को सीपीसी की पालना में पूर्ण करवाते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा